सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 11, सोमवार, *शाके* 1945-जनवरी 01, 2024 *Pausa 11 Monday , Saka 1945- January 01 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-1/इनपुट)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 6, 2023

संख्या प. 12(8) कृषि-1/इनपुट/2023 :-बीज अधिनियम, 1966 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बीज निरीक्षकों द्वारा लिये गये तथा विश्लेषण के लिए भेजे गये बीज नमूनों का विश्लेषण करने के लिये राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला, सीकर को अधिसूचित करती है।

बीज अधिनियम, 1966 की धारा 12 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बीज निरीक्षकों द्वारा विश्लेषण के लिए भेजे गये नमूनों पर राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला, सीकर में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों, जो बीज नियम, 1968 के नियम 20 के अनुरूप बीज विश्लेषक हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखते हैं, को बीज विश्लेषण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत किया जाता है:-

1. कृषि अनुसंधान अधिकारी (वनस्पति)
2. सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी(वनस्पति)

राज्यपाल की आज्ञा से,
कैलाश नारायण मीना,
संयुक्त शासन सचिव।

Agriculture (Group-1/Input) Department

Notification

Jaipur, September 6, 2023

No. F. 12 (8) Agriculture-1/Input/2023 .-In exercise of powers conferred under sub-section (2) of section 4 of the Seeds Act, 1966 the State Government hereby notify the State Seeds Testing Laboratory, Sikar to undertake analysis of the Seed Samples drawn and sent by the Seed Inspectors for analysis under the provisions of the said Act.

In exercise of the powers conferred under Section 12 of the Seeds Act, 1966, the State Government hereby authorise the following officers working in the State Seed Testing

Laboratory, Sikar to analyse the Seed samples sent for analysis by the Seed Inspectors under the provisions of the said Act, having the prescribed minimum qualification under rule 20 of the Seeds Rules, 1968 to sign the seed analysis report:-

1. Agriculture Research Officer (Botany)
2. Assistant Agriculture Research Officer (Botany)

By Order of the Governor,
Kailash Narayan Meena,
Joint Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।